पत्र संख्या–सी0 / ए0–10–01 / 2014........................ / जे0

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह,
सचिव–सह– विधि परामर्शी, बिहार।

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

पटना दिनांक–...............

विषयः– लोक अभियोजक के पद पर नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में संसूचित करना है कि बी0एन0एस0एस0, 2023 एवं बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 के प्रावधानानुसार आपसे प्राप्त अनुशंसा सूची के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार ने निम्नांकित स्तंभ–4 में अंकित जिला के लिए स्तंभ–2 में अंकित अधिवक्ता को उनके पद ग्रहण की तिथि से तीन वर्षों के लिए लोक अभियोजक के पद पर नियुक्त करने की कृपा की हैः–

क्र0सं0	अधिवक्ता का नाम	पंजीयन संख्या	जिला
1	2	3	4
1	श्री राजेश कुमार	2538 / 1994	पटना

2. कंडिका–1 में अंकित नवनियुक्त लोक अभियोजक की कालावधि पी0पी0 मैनुअल के नियम–137 के प्रावधानानुसार तीन वर्षों को होगी तथा कालावधि समाप्ति के 04 माह पूर्व नये नियक्ति हेतु अनुशंसा सूची उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

3. इस नियुक्ति के फलस्वरूप जिला में पूर्व से नियुक्त लोक अभियोजक / प्रभारी लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

4. विधि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1547, दिनांक–24.02.2023 के प्रावधानानुसार लोक अभियोजक का मासिक निर्धारित शुल्क देय होगा तथा इनके कर्त्तव्य एवं दायित्व के संबंध में पत्र अलग से निर्गत किया जायेगा।

5. कंडिका–1 में अंकित नवनियुक्त लोक अभियोजक अगर पूर्व में किसी विधि पदाधिकारी, यथा–विशेष लोक अभियोजक, सरकारी वकील, अपर लोक अभियोजक, सहायक सरकारी वकील इत्यादि तथा किसी सरकारी परियोजना में कार्यरत हो तो उन्हें कार्यरत

कृ0पृ0उ0

पदों में से जिस पद का निर्धारित मासिक शुल्क अधिकतम होगा, केवल वही शुल्क अनुमान्य होगा।

6. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

7. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(अंजनी कुमार सिंह)

सचिव–सह–विधि परामर्शी, बिहार।

ज्ञापांक................................./जे0, पटना, दिनांक.................................

प्रतिलिपिः– विद्वान महाधिवक्ता, बिहार–सह–अध्यक्ष चयन समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

(अंजनी कुमार सिंह)

सचिव–सह–विधि परामर्शी, बिहार।

ज्ञापांक................................./जे0, पटना, दिनांक.................................

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव तथा माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

(अंजनी कुमार सिंह)

सचिव–सह–विधि परामर्शी, बिहार।

ज्ञापांक................................./जे0, पटना, दिनांक.................................

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(अंजनी कुमार सिंह)

सचिव–सह–विधि परामर्शी, बिहार।

ज्ञापांक................................./जे0, पटना, दिनांक.................................

प्रतिलिपिः– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(अंजनी कुमार सिंह)

सचिव–सह–विधि परामर्शी, बिहार।

ज्ञापांक......4776....../जे0, पटना, दिनांक......30/07/2025......

प्रतिलिपिः– कंडिका–1 में अंकित पटना जिला के नवनियुक्त लोक अभियोजक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे अविलंब लोक अभियोजक के पद ग्रहण करते हुए राज्य सरकार का पक्ष रखने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाय।

30.07.25

(अंजनी कुमार सिंह)
सचिव–सह–विधि परामर्शी, बिहार।